न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 19/2023

अनवान : –

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी चारणवी तहसील नोहर।

–सायल

बनाम्

1. राधेश्याम पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. केसरा पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. अमरसिंह पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. बनवारीलाल पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– असल गैरसायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी**
पेरोकार राज

निर्णय   दिनांकः 20/9/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 81/77 के प0न0 324/367 के मु0न0 5 के किला न0 3 ता 7 व 14 ता 16 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट, किला न0 17/2 की 0.2150 हैक्ट 22/2 की 0.0130 हैक्ट किला न0 23/2 की 0.0130 हैक्ट किला न0 24/2 की 0.0130 हैक्ट, 25 की 0.2530 हैक्ट प0न0 325/367 के मु0न0 4 के किला न0 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट, प0न0 325/368 मु0न0 12 के किला न0 1 की 0.2530 हैक्ट भूमि कुल 3.7960 हैक्ट भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण स0 1 प्रत्येक का 1/2 हिस्सा के खातेदार करतश्कार है।

रोही मौजा चक 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 20/20 के प0न0 324/368 मु0न0 11 के किला न0 4/1 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, किला न0 4/2 की 0.2270 हैक्ट भूमि किला न0 5/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, किला न0 5/2 की 0.2270 हैक्ट भूमि कुल 0.5060 हैक्ट भूमि जिसका अप्रार्थी स0 2 खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 4/4 के प0न0 324/367 मु0न0 5 के किला न0 2/1 की 0.215 हैक्ट किला न0 8 व 13 की 0.506 हैक्ट किला न0 17/1 की 0.0380 हैक्ट किला न0 18 की 0.2[illegible] हैक्ट, 23/1 की 0.2400 हैक्ट, किला न0 24/1 की 0.2400 हैक्ट भूमि कुल 1.4920 हैक्ट जिसके अप्रार्थीगण स0 3 खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:50:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा चक 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 55/52 के प0न0 324/367 मु0न0 5 के किला न0 20 व 21 की 0.506 हैक्ट भूमि जिसके अप्रार्थी स0 4 खातेदार काश्तकार है।

सायल गांव से चलकर स्वीकृत रास्ता से होते हुए गैरसायलान की रोही मौजा चक 11 केएनएन तहसील नोहर के प0न0 324/368 के मु0न0 11 के किला न0 4/2 एवं प0न0 324/367 मु0न0 5 के किला न0 17/2 एवं प0न0 324/367 के मु0न0 5 के किला न0 10 में चलकर अपने खेत में से प0न0 324/367 मु0न0 5 के किला न0 22/2, 23/2 व 24/2 में रास्ता से होकर अपने खेत में प्रवेश करता है यही सबसे नजदीक व सुविधाजनक रास्ता है। सायलान एवं गैरसायलान हमेशा से उक्त रास्ता से ही आवागमन कर रहा है इसके सिवाय अन्य कोई रास्ता नही है यही रास्ता सबसे नजदीक व सुविधाजन है। सायल द्वारा चाहा जा रहा रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने के कारण गैरसायलान आवागमन में बाधा में उत्पन्न करते है इसलिए सायल उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रोही मौजा चक 11 केएनएन तहसील नोहर के प0न0 324/367 मु0न0 5 के किला न0 22/2 में 0.013 हैक्ट एवं किला न0 23/2 की 0.013 हैक्ट सम्पूर्ण में रास्ता, किला न0 24/2 की 0.0130 हैक्ट, में 18 फुट लम्बाई में रास्ता रहेगा एवं प0न0 324/368 के किला न0 4/2 में 0.013 हैक्ट पश्चिम तरफ प0न0 324/467 मु0न0 5 के किला न0 21 के दक्षिण तरफ की 0.013 हैक्ट भूमि रास्ता की भूमि रहेगी एवं रास्ता के बदले अप्रार्थी स0 2 अप्रार्थी स0 4 को किला न0 4 में 0.013 हैक्ट पश्चिम दिशा की भूमि देगा तथा अप्रार्थी स0 3 प्रार्थी एवं अप्रार्थी स0 1 को किला न0 17 में 0.0138 हैक्ट रास्ते के बदले की भूमि देगा तथा अप्रार्थी स0 3 को प्रार्थी एवं अप्रार्थी स0 1 रास्ते के बदले किला न0 3 के कोने में आथुणी व दिखनादे कोने में रास्ते के लिए 0.0017 हैक्ट भूमि देगे इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा पाने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 एवं प्रार्थी द्वारा राजीनामा पेश किया गया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तो पक्षकारान को कोई एतराज नही है। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल किया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की प्रार्थना पत्र के संबंध में पक्षकारान द्वारा आपसी राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई एतराज नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] ने बहस में मुताबिक राजीनामा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:50:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उभयपक्षों को सुना गया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 81/77 की कुल 3.7960 हैक्ट भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी स0 1 प्रत्येक के 1/2 हिस्सा, खाता स0 4/4 की कुल 1.4920 हैक्ट भूमि अप्रार्थी स0 3, खाता स0 20/20 की कुल 0.5060 हैक्ट अप्रार्थी स0 2, खाता सं0 55/52 की कुल 0.506 हैक्ट अप्रार्थी स0 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी किला न0 10 में चलकर अपने खेत में से प0 न0 324/367 मु0न0 5 के किला न0 22/2, 23/2, 24/2 में रास्ता से होकर अपने खेत में प्रवेश करता है इस रास्ता को गै0मु0 दर्ज किया जावें। अप्रार्थीगण भूमि के बदले भूमि लेने को सहमत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पक्षकारान के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो वे रोही मौजा चक 11 केएनएन तहसील नोहर के प0न0 324/367 के मु0न0 5 के किला न0 22/2 में 0.013 हैक्ट एवं किला न0 23/2 की 0.013 हैक्ट सम्पूर्ण में रास्ता, किला न0 24/2 की 0.0130 हैक्ट, में 18 फुट लम्बाई में रास्ता एवं प0न0 324/368 के किला न0 4/2 में 0.013 हैक्ट पश्चिम तरफ प0न0 324/467 मु0न0 5 के किला न0 21 के दक्षिण तरफ की 0.013 हैक्ट भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है एवं रास्ता के बदले अप्रार्थी स0 2 की किला न0 4 में से 0.013 हैक्ट पश्चिम दिशा की भूमि अप्रार्थी स0 4 के नाम दर्ज की जाती है तथा अप्रार्थी स0 3 की किला न0 17 में 0.0138 हैक्ट भूमि कम की जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज की जाती है तथा अप्रार्थी स0 3 की किला न0 3 के कोने में आथुणी व दिखनादे कोने में रास्ते के लिए 0.0017 हैक्ट भूमि में से कम की जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/9/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:50:10 IST
Reason: SelfAttested